तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **हनुमान सहाय बनाम उषा पूनिया** **246/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00190)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो/खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी हनुमान सहाय जाट एवं रेस्पोडेन्ट उषा पूनिया व अन्य के मध्य बिना किसी दवाब के स्वेच्छा पूर्वक लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब अपीलार्थी उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नही चाहता है तथा अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा अपील को विड्रो करना चाहता हैं जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार करने बाबत रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का एतराज नही हैं। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने पर अब अपीलान्ट अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है जिसके लिये अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2019 को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है तो अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) सभागीय आयुक्त, जयपुर।	